

**66वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का अतिरिक्त परीक्षाफल**

66वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 13.04.2022 को प्रकाशित किया गया था। मुख्य (लिखित) परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना ज्ञापांक - 6026 दिनांक 19.04.2022 के आलोक में अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आवेदन करने वाले लोहार जाति के उम्मीदवारों को अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मान्य किया गया जाना है।

तदालोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) के अन्तर्गत मान्य होने के कारण कुल 09 उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति (03) कोटि के अन्तर्गत एवं 01 महिला उम्मीदवार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से सफल घोषित किया जाता है।

तदनुसार आयोग उक्त परीक्षा में सफल कुल 10 अतिरिक्त उम्मीदवारों का परीक्षाफल अनुक्रमांक क्रमवार नीचे बायें से दायें प्रकाशित करता है, जिन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा:-

156290    194227    245602    260199    329141    385309    395621    446378    455257    470512

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सफल उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक 18.07.2022 को आयोजित किया जायेगा जिसका विस्तृत कार्यक्रम अलग से आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक - 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) लाना अनिवार्य है।
3. दिनांक 18.05.2022 से 22.06.2022 तक आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित लोहार जाति के वैसे उम्मीदवार जिनके द्वारा अपने साक्षात्कार के दिन अनुसूचित जनजाति कोटि का जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराया गया है, उन्हें भी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) दिनांक 18.07.2022 को मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराने का निदेश दिया जाता है।

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैसे उम्मीदवारों की पात्रता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

4. दिनांक 18.07.2022 को साक्षात्कार में शामिल होनेवाले नये सफल 10 उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्गों की महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम एवं पता से बना मूल जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा।

उक्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा एवं उक्त प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैसे उम्मीदवारों की पात्रता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

तिथि: 06 जुलाई, 2022

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना